संख्या-39/2017/1568/22-2-2016-17(316)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी झाऊलाल पुत्र श्री शिवचरन लाल निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34859/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी झाऊलाल पुत्र श्री शिवचरन लाल, ग्राम सिठौराकला, थाना-गजरौला, जनपद-पीलीभीत हाल पता निवासी- अम्खेडा थाना-वरखेडा जनपद-पीलीभीत का निवासी है। दिनांक 07-07-1997 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कांते से मारकर खानचन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या का कारण पुरानी रंजिश थी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-548/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452 में मा0 अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा दिनांक 23-02-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.2016 तक 18 वर्ष 07 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 07 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त होने तथा कारागार में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी मे नही आता है। बन्दी द्वारा भविष्य में समयपूर्व रिहा होने पर अपराध के लिए प्रेरित कर सकने, बन्दी की जान को खतरा होने के आधार पर जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की नृशंस हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता व पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पीलीभीत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी झाऊलाल पुत्र श्री शिवचरन लाल निवासी जनपद- पीलीभीत की फार्म'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी झाऊलाल (बन्दी संख्या-36033) पुत्र श्री शिवचरन लाल निवासी जनपद- पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-39/2017/1568(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-39/2017/1568@22-2-2016-17(316)/2016

दिनांक 10 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी झाऊलाल (बन्दी संख्या-36033) पुत्र श्री शिवचरन लाल, ग्राम सिठौराकला, थाना-गजरौला, जनपद-पीलीभीत हाल पता निवासी- अम्खेडा थाना-वरखेडा जनपद-पीलीभीत का निवासी है। दिनांक 07-07-1997 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कांते से मारकर खानचन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या का कारण पुरानी रंजिश थी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-548/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452 में मा0 अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा दिनांक 23-02-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.2016 तक 18 वर्ष 07 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 07 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त होने तथा कारागार में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी मे नही आता है। बन्दी द्वारा भविष्य में समयपूर्व रिहा होने पर अपराध के लिए प्रेरित कर सकने, बन्दी की जान को खतरा होने के आधार पर जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की नृशंस हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता व पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी झाऊलाल पुत्र श्री शिवचरन लाल निवासी जनपद- पीलीभीत की फार्म'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in